


प्रक्रम 2 (नियम 11 (4) दोखण)



मध्य प्रदेश सरकार

संघीय विधायक

मध्य प्रदेश सरकार

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्यप्रदेश

दूरभाषः-

पीक्सः-

ई-मेलः

क्रमांकः/261721753/स्कूल आई.डी. - 28230
प्रति.

दिनांकः-

प्रबंधकः

(ST.MARY CHAMPION H.S. SCHOOL)

विषयः निःशुल्क और अनियमी बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनियमी बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल सम्मता प्रमाण प्राप्त।

महोदया/महोदया,

आपको आवेदन पत्र दिनांक 20/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से प्रमाणात्मक पत्र उम्मीद/निरीक्षण के सदृश में, मैं आपकी स्कूल -ST.MARY CHAMPION H.S. SCHOOL, OPP. STATE BANK OF INDIA, DHAR ROAD, NAVDAPANTH, INDORE को कक्ष Nursery से कक्ष 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालावधि को लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति क्रिम्मनिषिद्धित, शर्तों की पूर्ति के अध्ययन होगी।

- सम्मता विस्तारित नहीं होनी तथा कक्ष 8 से आगे की साम्यतासंवृद्धि की कोई बाधाताका किसी भी रूप में विवरित नहीं होगी।
 - स्कूल निःशुल्क और अनियमी बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपर्याप्त 1) तथा निःशुल्क और अनियमी बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपर्याप्त 2) के उपर्याप्त का बालन सम्मत।
 - स्कूल, अपने पढ़ोत्स की सीमा के वर्तित सम्मुख तथा कमज़ोर वर्ग के बालनों को कक्ष 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रदेश देगा। उस दृष्टि में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसने प्रदेशित बालकों को उस अनुप्रयत्न में निःशुल्क उपर्याप्त प्रारम्भिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवृत्ति रूप से पूरा करने हेतु इस प्रारम्भ वार्षिक आवृत्ति सम्मत या अनुदान प्राप्त होता है फिर उस न्यूनतम प्रारंभिक प्रतिशत के अधीन होगा वर्तीने कि जहां स्कूल पूरी स्कूल (प्रिमियम स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपर्याप्त (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपर्याप्त प्रिमियम स्कूल को प्रदेश के लिए लागू होगी।
 - दैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार 100% की प्रतिशती की उपर्याप्त तथा दैरा 3 में प्रतिशत प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैक खाता उपलब्ध करागा होगा।
 - गोसाइटीस्कूल कोई भी अधिनियम प्रतिशत का साझा नहीं करेगा तथा बालक या उसके पासक ग्राम अनिवार्यक के साथ किसी उपर्याप्त प्रक्रिया को नहीं आपनाएगा।
 - स्कूल किसी भी बालक वर्ग प्रदेश देने से दूर्जाह नहीं करेगा-
 - (क) अन्य के सहन के अभाव में;
 - (ख) यदि प्रदेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि की प्रमाणित ऐसा प्रदेश याहा नया हो;
 - (ग) घर्म, जातिया या गृहसंघ, अव्यवस्था या इनमें से विवरी भी आधार पर।
 - स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को किसी कक्ष में रोका या निष्प्रवर्तीत नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बालक को जोई बोई परिषेष उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तात्पर्य प्रदेश बालक को प्रमाण पर दिया जाएगा;
 - अधिनियम की उपर्याप्त की अनुसार निःशुल्क विशेष आवश्यकता तात्पर्य बालक को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षाको की भाँति की जाएगी; वर्तीने कि वर्तमान जी कालावधि जी शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहंत नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहंत जारी रखती होगी;
 - शिक्षाको की अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियमित वर्तमानी का पासन करना होगा;
 - स्कूल सम्मिलित प्राप्तिकारी बदला निर्धारित पाठ्यपाठी का अनुसारण करेगा।
- Signature-Not Verified**
 Digitally signed by
RAJENDRA KARWANI
 Date: 2019-01-31
 13:30:55 IST
 Reason: Digitally signed
 Location: Noida

